JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बदलते स्वरूप का विवेचनात्मक अध्ययन

शोधार्थी
वन्दना राजपूत
हमीदिया कला एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, भोपाल

जनजातियां न केवल भारत अपितु विश्व के अधिकांश भागों में निवास करती है। जिसमें दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अपने आप में अनूठी है। भारत के निवासियों की विभिन्न प्रजातियों का समिश्रण हुआ है। भारतीय जनसंख्या विविध धर्म, जाति, पंथ, समुदायों एवं वर्गों के आधार पर सदियों से बटे हुए हैं। इसके पश्चात् भी भारतीय एकता एवं अखण्डता इस वर्गीकृत संख्या में भी एकीकृत रूप से आज भी समाहित रही है। भारत में वर्गीकृत रूप में देश की आबादी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षाणिक रूप से ग्रामीण, शहरी तथा औद्योगिक समाज में देख सकते हैं।

ग्रामीण समाज का एक भाग वन प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है। जिन्हें उनकी भाषा, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अनेक मानव–समुदाय को मानव के विकास क्रम से अलग करता है। आज इन्हीं समुदाय के लोगों को आदिम जाति, आदिवासी, वन्यजाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित करता है। इनमें से प्रत्येक समुदाय का अपना नाम है जिसमें उन्हें आसानी से पहचान लिया जा सकता है। जो सुदूर अंचलों में वर्षों से निवासरत है। यही कारण है कि आज विकास इन समुदायों तक नहीं पहॅुच पाया है। लेकिन इतिहास की विडम्बना ने इसे सम्पूर्ण समुदाय को आदिवासी या जनजाति के रूप में परिभाषित किया है। सदियों से यह वर्ग सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक, शोषित एवं उत्पीड़ित और उपेक्षित रहा है और आज भी है।[1]

भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से ज्ञात होता है कि बितानी सल्तनत के प्रवेश के दौरान यहां के लोगों ने अपने आप के इन समुदायों से अलग कर इन्हें **'नोटिव'** या **'ट्राइब'** की संज्ञा दी गई। आज इन्हें हम आदिवासी या वनवासी कहते हैं। जिन्हें प्राचीन काल में उनके नामों से ही सम्बोधन किया जाता था। इन्हें भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार यथा, भील, कोल, किरात, निषाद आदि नामों से पुकारा जाता था, जो धर्मग्रंथों में वर्णित है। भारतीय मुलनिवासीयों के परिवर्तन का कारण आर्यों का भारत आगमन कहा जा सकता है। जब भारत में दो गुट आर्यों व अनार्यों के रूप में विभाजित हुये थे। अनार्यों को दस्यु भी कहा गया जिसका शाब्दिक अर्थ दूसरे लोग से हैं, किन्तु हाल ही में हुए पुरात्व विभाग के एक अण्वेषण(खोज) में पाया गया है कि आर्य कही बाहर से नहीं आये वे यही के मुलनिवासी है।

जनजातीय समाज वर्षों से एकान्त परम्परागत जीवन–यापन करता आ रहा है। कुछ लोगों का सम्पर्क बाहरी समाज से हुआ। हर छोटे–बड़े जनजाति समाज का परम्परागत संगठन अवष्य ही होता है। मानवषास्त्रीय अध्ययनों में पाया गया की कोई भी समाज या समुदाय लम्बे समय तक अपना अस्तित्व तभी कायम या स्थिर रख सकता है। जब उसकी एक आन्तरिक व्यवस्था हो। जनजातीय समुदाय का बाहरी लोगों के सम्पर्क के बाद भी अपनी सभ्यता व परम्पराओं में

विषेष परिवर्तन नहीं आया। दो चीजे अवष्य ही हुई है एक आबादी बढ़ने से क्षेत्रीय फैलाव और दूसरा क्षेत्रीय फैलाव के बावजूद एक निष्चित सीमा तक सीमित रहे।

व्यापक क्षेत्र में प्रसार वाली जनजातीय समुदाय यथा गों, भील, हो, संथाल, उरॉव आदि है। वे सभी जाति या उपजाति अपने क्षेत्रीय विस्तार से अनभिज्ञ नहीं है। प्रत्येक बड़े व छोटे समूह यह जानते हैं कि उसके भूखण्ड का विस्तार कहॉ तक है। इन समुदाय में आपसी झागड़े व लड़ाईयों चाहे वे धार्मिक व सामाजिक मुद्दें हो का निपटारा परम्परागत मुखिया प्रणाली से किया जाता है।

प्रमुख शब्द – सषक्तिकरण, मानवाधिकार, औघोगिकरण, राजनीतिक नेतृत्व।

भारत में स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की स्थिति

सर्वहरा वर्ग तब तक स्वतन्त्रता हासिल नहीं कर सकता जब तक की महिलाओं के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल नहीं कर ले। यदि महिलाओं को राजनीति में, राजनीति में सार्वजनिक कामों में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें रसोई की घुटन से बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें बराबर का दर्जा हासिल नहीं होता तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता की बात करना असंभव होगा, जनवाद की स्थापना करना भी असंभव होगा समाजवाद की बात तो दूर।[2] स्वतन्त्रत भारत में अनेक समाजषास्त्रीयों, जनसंख्याविदों तथा षिक्षाविदों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन कर उनकी सामाजिक, व्यवसायिक, शैक्षाणिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्थिति का अंकलन किया है जिसमें उन्होंने पाया कि महिलाओं के निर्णय की भूमिका परिवार में पुरूषों के समतुल्य कुछ हद तक आ गई है उन्होंने जाना कि यह सकारात्मक विचार के पीछे महिलाओं में षिक्षा का विस्तार से ऐसा सम्भव हो पाया है।

विज्ञान ने काफी उन्नति कर ली है, राजतंत्र की जगह जनतंत्र (लोकतंत्र) की स्थापना हो गयी है, समानता –स्वतन्त्रता की विजय पताकाएं भी लहरा रहीं है। लेकिन स्त्री के मामले में उसकी वही पुरानी धारणा आज भी बनी हुई है। आज भी पूरी दूनिया में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की ही है।[3] परिवार की आंषिक अवस्था में ही श्रम विभाजन में नारी ने घर का कार्य अपने कंधों पर ले लिया, किन्तु केवल पुरूषों द्वारा निर्मित बाहरी दूनिया पूर्ण नहीं हो सकती।[4] उसके लिए एक अहवान भी है कि वह सिर्फ मां,पत्नि, बेटी बनकर दूसरों का आश्रय न तलाषती रहे, बल्कि अपने–आपको पहचाने, अपनी शक्ति को पहचानकर वह 'स्व' अर्थात् अपने आप पर आश्रित हो।[5] इस ओर ध्यान देते हुए शासन व प्रषासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के स्वयं के विकास एवं उन्हें सषक्त करने हेतु संचालित किये गये हैं। ग्रामीण स्वरोजगार योजना का सृजन किया गया है। स्वतन्त्रता के पूर्व महात्मा गांधी ने स्वरोजगार पर जोर दिया था।

भारत में संविधान निर्माण के पश्चात् नारी के अंधकारमय जीवन में प्रकाष हेतु डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का अमुल्य योगदान देखा जा सकता है। अब नारी की छटपटाहट में कमी आयी तथा सदियों की गुलामी परम्पराओं की बेड़ियों को तोड़ने हेतु संवैधानिक हथियार उनके पास उपलब्ध है। जिसके माध्यम से वह समता के साथ स्वतन्त्रता का जीवन व्यतीत कर सकती है। आवष्यकता है इन अधिनियमों के आधार पर अपना अधिकार पाने की। यह कटु सत्य है कि कोई भी समाज इन अधिकारों को आसानी से तो देना ही नहीं चाहता।[6] हम आज सैद्धांतिक रूप से तो इस बात को स्वीकारते है कि महिलाओं की स्थिति पुरूष के समतुल्य आ गई है किन्तु व्यावहारिक रूप से मतभेद स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञान–विज्ञान के इस युग में भी प्रायः नारी की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता वाला पक्ष उजागर नहीं करके विज्ञापनों के माध्यम से उसकी दैहिक, कमनीयता और सजा संवारकर प्रस्तुत करने वाला रूप ही सामने लाया जा रहा है।[7] इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। फिर भी नारी की स्थिति में इतना तो सुधार अवष्य ही आया है कि वह पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है एवं स्वतन्त्र जीवन व्यतीत

कर रही है। वे अपने शासकीय सेवाओं, राजनीतिक क्षेत्रों, खेलों, यातायात के संसाधनों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना नेतृत्व कर राष्ट्र निर्माण में सहायता प्रदान कर रही है।

व्यवहारिक स्तर पर स्त्री–पुरूष विभक्त हो जाते हैं। शायद इसलिए महिलाओं के लिए विषेष प्रावधानों की व्यवस्था पृथक से की जाती है क्योंकि यदि समस्त मानव मात्र के लिए मानवाधिकारों की संरचना की जा चुकी है तो फिर महिलाधिकारों पर चर्चा क्यों होती रहती है?[8] महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करना आवष्यक तब होता है जब महिलाओं को मानव न समझकर भोग–विलास का साधन समझा जाता है। अष्लील हरकतें, छेड़खानी, यौन शोषण व बलात्कार जैसे घिनौनी वारदात समाज में लिंगभेद के चलते देखने को मिलती है।

कानूनी व अन्य शासकीय उपबंध या संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों में महिलाओं के 'सम्पत्ति के अधिकार' को उल्लेखित किया गया है। विवाह के समय मिलने वाले उपहारों व पिता, पति व पुत्र की संपत्ति में महिलाओं का आर्थिक हक सुनिर्धारित किया गया है लेकिन व्यवहारिक जीवन में महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिल पाता है।[9] 1947 से 1970 तक महिलाओं की स्थिति में उतार–चढ़ाव, ठहराव और नया जोष की इबारत लिखी गई। महिलाओं ने स्वतन्त्रता प्राप्ति में बढ़–चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांरण के पश्चात् राजनीतिक, औघोगिक एवं शैक्षाणिक में महिलाओं न कई नये आयाम रचे। 1947 के बाद सरकारी कार्यक्रम खास महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए। 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (कम्यूनिटी डिवेलेपमेंट प्रोग्राम) व अन्य महत्वकांक्षी योजनाएं बनी। स्वराज्य में गरीबी उन्मूलन व महिलाओं के आर्थिक हालात सुधारने के उद्देष्य से ये योजनाएँ तैयार की गई।[10] इसे देखकर महिलाओं में आषा की किरण जागृत हुयी। जिससे यह कल्पना थी कि सम्पूर्ण जन मानस की आर्थिक व सामाजिक पुनर्जीवन स्थापित हो। किन्तु सरकारी सोच की कमीयों के चलते महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। शासन द्वारा ठोस जरूरत एवं जमीन वास्तविकता को नजरअंदाज किया गया। वह समय था रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा षिक्षा,स्वास्थ्य तथा आर्थिक उन्नति के लिए रोजगार के सृजन की।

1960 के दषक में किसानों के आन्दोलन तथा कई अन्य आन्दोलनों में संदेष वाहक के रूप में महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। 1970 –2000 तक नई पहल महिला संगठनों के माध्यम से कि गई जिसमें कुछ पुराने मुद्दें के अलावा पर्यावरण संरक्षण, शराबबंदी, मंहगाई विरोधी अभियान, सम्पूर्ण क्रांति, नर्मदा बचाव अभियान आदि किये गये। 1970 में शराबबंदी, 1975 में 'आपात कालीन स्थिति' के दौरान जनता सरकार की नीतियों व विकास की दिषा के लिए सवाल पुछने लगे। 1975 में जब 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित हुआ तब भारत में महिलाओं का दर्जा नामक एक रिपोर्ट तैयार की गई उस रिपोर्ट में चौका देने वाले आँकड़े सामने आये जिसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। इसके साथ ही नए पहलु भी सामने आये, महिलाओं की अस्मिता को लेकर महिला संगठन सक्रिय हुये जिसमें मुंबई की 'फोरम अगेंस्ट रेप'(बलात्कार विरोधी मंच), दिल्ली की 'सहेली', हैदराबाद की 'अस्मिता', बैंगलोर की 'विमोचना', तमिलनाडू की 'पेनुरम्मा इयक्कम', उत्तरप्रदेष का 'महिला मंच' इत्यादि।[11] महिला संगठनों ने देष स्तर में कई सम्मेलन आयोजित किये जिसमें प्रषासन की कमी तथा महिलाओं से जुड़ें मुद्दों को प्राथमिकता के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत कर महिला शक्ति का परिचय दिया।

1990 के दषक में **'नर्मदा बचाओ आन्दोलन'** के माध्यम से महिला नेत्री समाज सेविका मेघा पाटकर ने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ग्रामीण महिलाओं के साथ काम किया। नर्मदा घाटी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध चित्तरूपा पलित जैसी महिलाएँ भी इस आन्दोलन में शामिल है। साधारण ग्रामीण महिलाओं के साथ अंतरंग रिष्ते बनाकर देष की महिला आन्दोलन की जड़े यहां मजबूत होती दिख रही है। वो जड़ें जो आम महिलाएं अपने आँसुओं व पसीने की बूँदों से सींच रही है।[12]

2000 में महिला संगठनों ने विभिन्न गतिविधियों के द्वारा महिलाओं को संगठित एवं आत्मनिर्भर बनाया। जिसमें 'मन के मंजीरे' नामक गीत नारी की अस्मिता, षिक्षा, दहेज, व हिंसा का विरोध, सम्पत्ति का अधिकार आदि मुद्दे रखे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में भले ही 'महिला सषक्तिकरण वर्ष' के रूप में घोषित किया गया हो पर क्या हकीकत में महिलाओं का सषक्तिकरण हुआ है या प्रष्न आज भी बना हुआ है। आज भी नारी के साथ शोषण होता है कहीं कोई आँख बलात्कार करता है तो कोई दिमाग से, महिला जिन्दा जला दी जाती, अनेक उदाहरण महिला शोषण की गाथा गाते हैं।[13]

1992 में **'राष्ट्रीय महिला आयोग'** तथा **'महिला बाल विकास'** का एवं 2001 में **'राष्ट्रीय महिला नीति'** का निर्माण किया। यह कदम महिलाओं को सषक्त बनाने हेतु सफल हुआ, जो शासन का महत्वपूर्ण एवं सराहनिय प्रयास था। इसलिए भारत सरकार की महिला सषक्तिकरण नीति 2000 एक और उल्लेखनीय कदम साबित हुआ।

भारतीय संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों व अधिनियम उपलब्ध है जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 23, 39, 42, 44, 51क, 25 तथा 326 आदि है। विधि के समक्ष समता, धर्म, मूलवंष, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव करना, अवसर की समानता सभी के लिए, बालश्रम, दुर्व्यावार तथा स्त्री व लड़कीयों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, स्त्री व पुरूष को समान जीविका के लिए पर्याप्त साधन, कार्य, वेतन, प्रसूति एवं स्वास्थ्य सुविधा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो नारी सम्मान की विरूद्ध है तथा समान मताधिकार संबंधी महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षाणिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार किया जा सके तथा उन्हें एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो सके।

समता के अधिकार द्वारा बाबा साहब महिलाओं को अपने पैरों द्वारा खड़ा होते देखना चाहते थे। उनका मत था कि ''सामाजिक क्रांति एवं परिवर्तन में स्त्रियों को पुरूषों का सहयोगी बनाना चाहिए। समाज के आधे अंग को जागृत किए बिना सामाजिक क्रांति अंसभव है। सामाजिक पुर्नजागरण, नारी स्वतन्त्रता एवं उनके विकास से ही सम्भव होगा।[14] भारत में महिलाओं के आरक्षण का बिल लम्बे समय से विचाराधीन अवस्था में पड़ा हुआ है। आरक्षण की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि महिलाओं का आरक्षण सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवर्गों में समान्तर आरक्षण की व्यवस्था मान्य कर देना चाहिए। ऐसा करने में किसी भी प्रकार की संवैधानिक मान्य कर देना चाहिए। ऐसा करने में किसी भी प्रकार की संवैधानिक अड़चने नहीं आयेगीं।[15] ऐसा करने में संसद के सदन में पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों में समय की बचत होगी और यह बिल पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

स्वतन्त्रता के पश्चात् षिक्षा, आर्थिक जीवन में बढ़ती हुई स्वतन्त्रता, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, राजनीतिक चेतना में वृद्धि तथा सामाजिक जागरूकता में आवष्यक वृद्धि, राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है यह एक विचारणीय प्रष्न है? आधुनिक युग की भारतीय नारी इस भार का अनुभव कर रही है जो बाहर से हर क्षण को भर कर भीतर की हर सांस को खाली कर देता है। स्वतन्त्रता सबके लिए जीने की शक्ति न बन सके तो मनुष्य के लिए प्रसाधन मात्र रह जायेगी और सब के लिए जीने की विघुत, सहानुभूति के जल में उत्पन्न होती है।[16] भारतीय महिला में जो एक सहज विवके है वह यदि जागृत रहे, तो न कोई कर्म क्षेत्र निष्चित हो सकेगा और न नवीन पीढ़ी को नवीन अनुभवों का मार्ग ही स्वीकार होगा।[17] यु एन डी वी द्वारा 2016 के लिये जारी किये गये मानव विकास सूचकांक में भारत 188 देषों में 131 वे पायदान पर है।[18]

समाज के हर क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महिलाएँ प्रगति कर रही है। षिक्षा इसमें महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रही है। वे धार्मिक विरोध करने लगी, वे मानसिक रूप से सुदृढ़ हुई है एवं उनमें जागृति आई। नागरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनेक ऐसे विकास कार्यक्रम आरम्भ किये गये। जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने में योगदान दिया है। प्रौढ़ षिक्षा, कार्यक्रम परिवार नियोजन, स्वरोजगार योजना, महिला मण्डल तथा महिला उद्यमियों

के लिये वित्तीय सहायता आदि तरह के कार्यक्रम है।[19] फिर भी समाज की निम्न दृष्टि महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है। असमतावादी समाज में उनकी प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक शोषित वर्ग को सहायता पहुँचाने वाले विषेष प्रयास नहीं किये जायें। यह सत्य है कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत बदलाव आये हैं। लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरूष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है।[20]

महिलाओं में षिक्षा की स्थिति – 1901 में हमारे देष में स्त्री –साक्षरता मात्र 0.6 प्रतिषत थी जो स्वतन्त्रता के उपरांत 1951 में बढ़कर 8.9 प्रतिषत हो गई। जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की साक्षारता दर 74.04 प्रतिषत है जो 2001 में 64.84 प्रतिषत थी। इस दौरान स्त्री साक्षारता की दर में 11.8 प्रतिषत की वृद्धि हुई, 2001 में यह 53.7 प्रतिषत थी जो बढ़कर 2011 में 65.5 प्रतिषत हो गई है। 2001–2011 की अवधि के दौरान स्त्री साक्षरता दर में 11. 79 प्रतिषत की वृद्धि हुई जो महिला सषक्तिकरण और राष्ट्रवाद का अच्छा संकेत है।[21]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बात की आवष्यकता है कि नीति–नियंता, षिक्षा तथा व्यवस्था को लेकर वृहद समीक्षा की जाये ताकि एक संतुलित शैक्षाणिक ढ़ॉचा का निर्माण हो सके। जिससे भारत की आधी आबादी महिला ऊर्जा शक्ति को एकांगी तथा अधूरे विकास के दोष से मुक्त कर उन्हें शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक दृष्टि से सबल बनाया जा सके। एक शारीरिक षिक्षा विषय की षिक्षण व्यवस्था से युक्त एक नूतन भारतीय उच्च षिक्षण व्यवस्था का ढ़ॉचा तैयार करना है।[22] स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि ''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहां की महिलाओं की प्रस्थिति है। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके।[23]

भारत में महिला सषक्तिकरण की दिषा में एक अभिनव प्रयास हिन्दू उत्तराधिकार संषोधन अधिनियम 2005 पारित करके किया गया। घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति सितम्बर 2005 में मिल गई।[24] महिला तभी सुरक्षित रह सकती है, जब मनुष्य का नैतिक धरातल मजबूत हो। मानव को अपने नैतिक अधिकारों का ज्ञान होना आवष्यक है। हमें नैतिकता के ऊंचे मानदंड स्थापित करना होगा। हमें एक ऐसी मूल व्यवस्था की जरूरत है, जहां हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बन सके।[25] पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। **'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो'** में 2017 में दर्ज अपराधों की रिपोर्ट सार्वजानिक की जिसमें मध्यप्रदेष प्रथम स्थान पर है। विगत वर्षों की तुलना में 07 प्रतिषत अपराध बढ़ें हैं जिनमें बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है।[26]

वर्तमान समय को लेकर अपत्ति स्पष्ट तौर से दिखाई देती है जिसमें आज प्रभावी वर्ग/जाति के आधार पर विकास मॉडल के नाम पर अपनी ही स्वार्थ पूर्ति कर रहा है। अर्थात् प्रभावी वर्ग आज भी प्रभाव में है व वर्चस्व लिये हुए अपना स्वर्थ सिद्ध कर रहा है। इसमा परिणाम मजदूर व श्रमिकों का बड़ा हिस्सा कंगाल होते चला गया। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और निर्धन किसानों का सबसे अधिक शोषण किया गया है। विकास की विकृति की यह अवस्था है कि औरतें के विकास के लिए बने प्रोग्रामों तक में औरतें के श्रम का शोषण हो रहा है।

षिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन

महिलाओं में शिक्षा के प्रसार हेतु सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले एवं उनकी पत्नि द्वारा स्वतन्त्रता के पूर्व शिक्षा की अलख जाग्रत की। यदि बालिका/महिला शिक्षित होती है तो वह दो परिवारों के सदस्य को शिक्षित कर सकती है। इसी सोच को आधार बनाकर देश में महिला शिक्षा कानून की स्थापना की जिसमें विभिन्न आयोग समिति व संघ के माध्यम से शासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऐसा माना जाता है कि किसी देश की आर्थिक प्रगति तथा विकास का वास्तविक मुल्यांकन किया जाये तो उस देश की महिला का शिक्षा का स्तर करने से देश की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसी के मद्देनजर संवैधानिक स्तर पर प्रयास प्रारम्भ हुआ।

1. **राधाकृष्णन आयोग(1948–1949)** – इस आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ सुझाव दिये एवं आयोग ने कहा कि – शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति व समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

2.**माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952** – इस आयोग ने महिलाओं के लिए परम्परागत शिक्षा के अलावा वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, गृह शिल्प तथा गृह उघोग विषयों को सम्मिलित करने पर जोर दिया। उन्होंने इस हेतु माध्यमिक एवं उच्च के स्तर को चुना।

3.**राष्ट्रीय महिला शिक्षा संघ** तथा **राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद** का गठन **(1958–59)** – इस आयोग ने 1958 में शिक्षक व शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण तथा 1959 में स्त्री के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये जिसमें कहा गया कि स्त्रीयों की शिक्षा हेतु एक अलग से प्रशासनिक ढ़ांचा बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद एवं राज्य स्तरीय के लिए राज्य महिला परिषद का गठन किया गया। इसका परिणाम 1951 एवं 61 के बीच देखने को मिला जहां 1951 में छात्राओं की संख्या 60 लाख थी। 1961 में बढ़कर 140 लाख तक पहुंच गयी थी।

4. **हंसा समिति – 1962** में इस समिति द्वारा प्राथमिक स्तर पर बालक व बालिका को समान शिक्षा का मत प्रस्तुत किया तथा माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए ग्रहविज्ञान एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पर बल दिया।

5. **कोठरी आयोग 1964–66** – इस आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के लिये विशेष बुनियादी सुविधाएं व संसाधनों, अनुदान एवं प्रोत्साहन के साथ जन सहभागिता आदि पर सुझाव दिये। इन्हें सरकारी स्तर पर व्यापक व प्रभावी कदम उठाने को कहा।

6. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** – इस आयोग द्वारा महिलाओं के लिए अलग स्कूल व कॉलेज की बात की, साथ ही छात्रवृत्ति व्यवस्था महिला शिक्षिकाओं को वरीयता के सम्बन्ध में भी बात की। जो 12 वे भाग में कही गई जिससे नारी की समानता के लिए शिक्षा के नाम से प्रकाशित हुयी।

7. **राममूर्ती समीक्षा समिति 1990–91** एवं संशोधित **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992)** में भी महिला शिक्षा पर ध्यान दिया गया।

8. **सर्व शिक्षा अभियान – 2001** में इसकी शुरूआत की जिसमें 86 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके अन्तर्गत लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पुस्तक आदि की व्यवस्था का उल्लेख है। उक्त प्रयासों के कारण वर्तमान समय में महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि स्पष्ट देखी जा सकती है। वही जनजाति बालिका/महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश में कन्या शिक्षा परिसर 82, एकलव्य आवासीय विघालय 33, आदर्श उ.मा.वि. 8, उत्कृष्ट उ.मा.वि. 9, गुरूकुलम 4 है।

आवासीय संस्थाएं मध्यप्रदेश में जूनियर छात्रावास 199, सीनियर छात्रावास 1195 तथा महाविघालयीन छात्रावास 152 एवं आश्राम 1083 है।

सामान्य शालाएं मध्यप्रदेश में प्राथमिक 23214, माध्यमिक 7002, हाई स्कूल 1126 तथा उ.म.वि. 849 वर्तमान में संचालित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रात्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति 11, 12 महाविघालयों तथा पीएच. डी. के लिए उपलब्ध करता है। आवास सहायता राशि दी जाती है। जिससे छात्रावास की कमी तथा उच्च शिक्षा में निरन्तरता हेतु गृह अर्थात् छात्रगृह योजना के अनुरूप दी जाती है।

कन्या साक्षारता प्रोत्साहन – कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश अन्तर्गत सभी अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने के साथ – साथ अधिक से अधिक आगामी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करवाये जाने हेतु कन्या साक्षारता प्रोत्साहन योजना संचालित है। पात्रता में 10 उत्तीर्ण होकर 11 वी में प्रवेशित सभी बालिकाओं को जो अनुसूचित जनजातिय के अन्तर्गत आती है 3000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

साइकिल योजना – कन्याओं की सतत् शिक्षा एवं उच्चशाला त्याग की दर को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश अन्तर्गत सभी अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को कक्षा 10 वी के बाद उच्च कक्षाओं में शिक्षा निरंतर रखने के लिये अन्य ग्राम की उच्चतर माध्यमिक विघालय में प्रवेश लेने पर अन्य ग्राम जाने हेतु साइकिल प्रदान करने की योजना संचालित की गयी है। जिसकी राशि बालिकाओं के बैंक खाते में डाली जाती है।

विदेश में उच्च शिक्षा – विदेश में उच्च शिक्षा हेतु 50 छात्र/छात्राओं का चयन किया जाता है। जिसका विज्ञापन वर्ष में 2 बार अप्रैल एवं अक्टूम्बर माह में निकलता है। **आकांक्षा योजना**, यू पी एस सी सिविल सेवा कोंचिग तथा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार/कौशल उन्नयन, अधोसंरचना विकास, पुरूस्कार तथा विभागिय योजनाओं के संचालन जो जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके चलते अनुसूचित जनजाति बालिकाओं तथा महिलाओं के शैक्षाणिक, आर्थिक विकास हुआ है। साथ ही सामाजिक स्थिति तथा रहन–सहन का में सुधार के साथ सामाजिक वर्चस्व भी प्राप्त कर रही है।

आधुनिकता से भरे इस युग में भारतीय शासन एवं प्रषासन द्वारा लोककल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके इस उद्देष्य की पूर्ति हेतु सभी वर्गों के उत्थान एवं कल्याण हेतु कुछ योजनाएं संचालित की गई है जिसमें इन जनजातियों के नागरिकों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके बाद भी देष व प्रदेष में जनजाति महिलाओं की स्थिति में ज्यादा कुछ परिवर्तन स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भी जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार हेतु राजनीतिक सहभागिता, शैक्षाणिक हिस्सेदारी और आर्थिक सषक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।

इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय राजनीति में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा, जिससे उनकी भूमिका एवं क्रियाशीलता के प्रभावी आयामों को सामने रखा गया है। महिलाओं के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्हन् लगाने तथा क्षमताओं को लेकर वैचारिक मतभेद समाप्त करता है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में राजनैतिक समझ में बढ़ोत्तरी तथा प्रतिनिधित्व एवं महिलाओं को प्रोत्साहित करने का आधार है। भविष्य की राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अंकलन तथा नवीन कानून व योजनाओं के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी तथा शासन व प्रशासन की मुख्यधारा से जोड़ने के सहयोग व सहायता के चलते जनजाति महिलाओं में आत्म सम्मान, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षाणिक और राजनीतिक विकास को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1. एस. एस. गौतम दलित राजनीति और नेता, सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 10।
2. दीप्ति प्रिया महरोत्रा – भारतीय महिला आंदोलन, सम्पूर्णा ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 54।
3. वही, पृ.सं. 63।
4. वही, पृ.सं. 59।
5. डॉ. अंजली पाण्डया – भारत में महिला सषक्तिकरण और राजनैतिक सहभागिताः एक संवैधानिक दृष्टिकोण, ए जर्नल ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेंट, वाल्यूम ग्टप्प्, 1–2, 2018, पृ.सं. 64।
6. संदीप कुमार आदित्य – महिलाओं का सषक्तिकरण और डॉ. अम्बेडकर, इण्डियन जर्नल्स सोषल एण्ड पॉलिटिकल साइस, 03(2), 2016,पृ.सं. 75।
7. संदीप कुमार आदित्य – महिलाओं का सषक्तिकरण और डॉ. अम्बेडकर, इण्डियन जर्नल्स सोषल एण्ड पॉलिटिकल साइस, 03(2), 2016,पृ.सं. 76।
8. रतनलाल गौरा – महिलाओं के मौलिक अधिकार, राधा गोविन्द पब्लिषर्स, जयपुर, 2006, पृ.सं. 17।
9. वही, पृ.सं. 18।
10. कु. शालिनी – महिला सषक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता, ए जर्नल्स ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेंट, वाल्यूम ग्टप्प्(1–2), 2018 पृ.सं. 147।
11. अभय प्रताप सिंह – महिला सषक्तिकरण, इण्डियन जर्नल्स सोषल सांइस एण्ड पोलीटिकल सांइस 2 (2), 2015, पृ.सं. 75।
12. डॉ. एल.पी. झारिया, कु. तबस्सुम – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की दषा और दिषा, ए जर्नल ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट, वाल्यूम ग्प्ट (1–4),2019, पृ.सं. 90।
13. रेनू उपाध्याय – महिलाओं में अनिवार्य षिक्षा और सषक्तिकरण, ए जर्नल ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट, वाल्यूम ग्प्ट (1–4),2019, पृ.सं. 96।

14. डॉ. एल.पी. झारिया, कु. तबस्सुम – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की दषा और दिषा, ए जर्नल ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट, वाल्यूम ग्प (1–4),2019, पृ.सं. 90।
15. निषा बरैया – भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति एक अध्यय, ए जर्नल ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट, वाल्यूम ग्प (1–4),2019, पृ.सं. 103।
16. पंकज तिवारी – महिला सषक्तिकरण का स्वरूप, इण्डियन जर्नल्स, सोषल साइंस एण्ड पॉलिटिकल सांइस 2(2), 2015, पृ.सं. 63।
17. डॉ. रेखा बख्शी – महिला सुरक्षा पर मनोवैज्ञानिक चिंतन, 2018, पृ.सं. 5।
18. डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव – महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 2018, पृ.सं. 33।
19. रतनलाल गौरा – महिलाओं के मौलिक अधिकार, राधा गोविन्द पब्लिकेषर्स, जयपुर, 2006, पृ.सं. 2।
20. योगेश दीवन – वो सुबह कभी तो आएगी, दिशा संवाद रोहना, होशंगाबाद, 1999, पृ. सं. 26।
21. वही, पृ.सं. 34।
22. डॉ. श्रीमति अनीता कौशल – महिला शिक्षा–सुरक्षा का एक कदम, 26 व 27 फरवरी, 2018, पृ.सं. 23।
23. वही, पृ.सं. 23।
24. ूण्जतपइंसण्उचण्हवअण्पद
25. वहीं
26. डॉ. ए.आर. एन. श्रीवास्तव – जनजातीय भारत, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2007, पृ.सं. 153।